6

स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास

हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग भवनों, स्वास्थ्य अमला, उपकरणों, एवं दवाओं को निरंतर तरीके से उपलब्ध कराने में अग्रसर है। स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा प्रदेष के बीमार और आपातकालीन रोगियों के अलावा शिशुओं, बच्चों, युवाओं, माताओं, योग्य दम्पत्तियों और बुजुर्गों सहित सभी वर्गों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूर्ण करने में प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त, संचारी व गैर–संचारी रोगों की भी सावधानीपूर्वक जांच तथा रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और योजना की मजबूत प्रणाली बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

6.2 हरियाणा राज्य में वर्तमान में 22 जिला सिविल अस्पताल, 49 उप–मंडलीय अस्पताल, 120 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 33 सिविल डिस्पेंसरी, 13 पॉली क्लीनिक, 406 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 11 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, 106 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 55 प्रथम रेफरल के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जिसमें 2,726 उप स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। इसके अलावा 24 विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ और 66 नवजात शिशु स्थाई इकाइयाँ हैं। हरियाणा राज्य में वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वास्थ्य विभाग का बजट आवंटन 4,87,721.67 लाख रूपये था जोकि वर्ष 2022–23 में बढकर 5,44,912.87 लाख रूपये हो गया है।

निरोगी हरियाणा

6.3 इस स्कीम के तहत हरियाणा राज्य में 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की गई। पवित्र शहर कुरुक्षेत्र का दिनांक 29 नवंबर, 2022 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा में शुभारंभ किया गया। यह योजना शुरू में 32 स्वास्थ्य सुविधाओं में शुरू की गई थी और वर्तमान में 2 मेडिकल कॉलेजों, सभी जिला नागरिक अस्पतालों और कुछ उप जिला अस्पतालों सहित 42 सुविधाओं में चल रही है। सभी आयु समूहों की जांच के लिए विस्तृत एसओपी तैयार किए गए और इस तरह की गतिविधि चलाने के लिए सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 89 सुविधाओं के लैब अपग्रेडेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी और एच.एम.एस.सी.एल द्वारा ऑटो एनालाइजर और सेल काउंटर की खरीद की जा रही है और लाभार्थी के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए एक आवेदन भी एक उन्नत चरण में है। इस बीच उन सुविधाओं के लिए डेटा पर कार्य किया जा रहा है जहां ई–उपचार लाइव है। दिनांक 24–01–2023 तक कुल 1,59,870 व्यक्तियों की जांच की गई तथा कुल 15,02,542 लोगों के रक्त एवं मूत्र की जांच की गई। जांच की गई आबादी में एनीमिया, जन्म के समय कम वजन, तपेदिक, कार्सिनोमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक के विभिन्न मामलों का पता लगाया गया है और उनका इलाज किया गया है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

6.4 इस स्कीम के तहत दिनांक 24–01–2023 तक सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को 613.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कुल 28,89,287 कार्ड आयुष्मान भारत योजना के तहत 24–01–2023 तक गोल्डन कॉर्ड (आयुष्मान लाभार्थी कार्ड) बन चुके हैं

हरियाणा राज्य में 24–01–2023 तक अस्पतालों की कुल संख्या (सार्वजनिक अस्पताल–176 और निजी अस्पतालों–552) को आयुष्मान भारत, हरियाणा के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

चिरायु योजना

6.5 माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने 21–11–2022 को अंत्योदया इकाइयां (चिरायु) हरियाणा योजना का व्यापक स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आयुष्मान भारत के लाभ को 29 लाख अंत्योदया परिवारों यानी 1.8 लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक पहुंचाना है। चिरायु योजना के तहत दिनांक 24–01–2023 तक 46,68,587 आयुष्मान कार्ड भी बनाये गये हैं।

सार्वजनिक निजी भागीदारी

6.6 हरियाणा राज्य में इस स्कीम के तहत लोगों को सीटी स्कैन, एम.आर.आई., हेमोडायलिसिस और कैथ लैब सेवाएं प्रदान करना है। सीटी स्कैन सेवाएं 17 जिला सिविल अस्पतालों में उपलब्ध हैं। एम.आर.आई. सेवाएं 5 जिला सिविल अस्पतालों में उपलब्ध हैं। हेमोडायलिसिस सेवाएं 20 सिविल अस्पतालों में चालू हैं। 4 केंद्रों में कार्डियोलॉजी सेवाएं, यानी कैथ लैब और कार्डियक केयर यूनिट काम कर रही हैं। पी.पी.पी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और हरियाणा के सभी जिलों में इन सेवाओं के प्रावधान पर काम किया जा रहा है।

6.7 हरियाणा सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) कार्यक्रम कार्यान्वयन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश में प्रथम रैंक हासिल किया है। सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्‌घाटन दिनांक 09–05–2022 को किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों को व्यापक कैंसर देखभाल की सुविधा प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक

6.8 भारत सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक विकसित किए हैं। एन.क्यू.ए.एस. एक चेकलिस्ट आधारित कार्यक्रम है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विभिन्न विभागीय चेकलिस्ट शामिल हैं। हरियाणा अपनी सुविधाओं में इन मानकों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। डी.सी.एच. पंचकुला देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित होने वाला पहला जिला अस्पताल था, जबकि डी.सी.एच. फरीदाबाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाल अनुकूल सेवाओं के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए मुस्कान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणित होने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया। राज्य में एनक्यूएएस के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित सुविधाओं का विवरण इस प्रकार के जिला नागरिक अस्पताल–9, उप–मंडलीय नागरिक अस्पताल, नागरिक अस्पताल–4, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र–3, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र–2, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र–89, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र–17 शामिल हैं।

कायाकल्प

6.9 कायाकल्प स्वच्छता बनाए रखने संक्रमण नियंत्रण, प्रथाओं को बढ़ावा देने और इन दिशानिर्देशों के तहत मूल्यांकन किए जाने पर अनुकरणीय प्रदर्शन दिखाने वाली सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। हरियाणा इन सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रयासरत है और इस पहल की शुरुआत के बाद से सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में इन मानकों को प्राप्त करने में लगातार सुधार कर रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 में 335 कायाकल्प पुरस्कार कुल रुपये विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को 333.40 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। इस प्रकार वितरित राशि का उपयोग, रोगी देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने और इन सुविधाओं को कार्यक्षेत्र के वातावरण के लिए भी किया जाता है।

6.10 हरियाणा राज्य में ई–उपचार एप्लिकेशन को 22 जिला अस्पतालों, 3 मेडिकल कॉलेजों, 1 आयुर्वेदिक कॉलेज, 20 एस.डी.एच/सी.एच.सी और 10 पीएचसी सहित पूरे

हरियाणा में 56 स्वास्थ्य सुविधाओं में सफलतापूर्वक लागू किया गया था। इसे सभी कार्यान्वित स्थलों के लिए 'मेरा अस्पताल' के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। मेरा अस्पताल 'एप्लिकेशन के साथ ई–उपचार का एकीकरण रोगियों को सम्बन्धित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के बारे में प्रतिक्रिया साझा करने का अधिकार देता है। यूनिक पेशेंट आईडी एप्लिकेशन में 2.7 करोड़ मरीजों की एंट्री की जा चुकी है। लगभग 8.2 करोड़ रोगियों ने दोबारा जाकर ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाया है। 197 लैब मशीनों और 87 एक्स–रे मशीनों को ई–उपचार पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। प्रयोगशाला रिपोर्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं और मरीज इन रिपोर्टों को अपने स्मार्ट–फोन के माध्यम से कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दो डैशबोर्ड/केंद्रीय डैशबोर्ड और एक प्रमुख संकेतक डैशबोर्ड विकसित किया गया है और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए प्रमुख संकेतक प्रदर्शित किए गए हैं। एप्लिकेशन 54 साइटों पर 'लाइव' है और 2 साइटों पर लाइव का निर्माण चल रहा है।

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं

6.11 हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं के तहत वर्तमान में 622 एम्बुलेंस (157 एडवांस लाइफ सपोर्ट, 166 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 262 रोगी परिवहन एम्बुलेंस और 31 किलकारी/बैक टू होम, 6 नियोनेटल एम्बुलेंस) चालू हैं, जिनका प्रबंधन राज्य के 21 जिलों (चरखी दादरी के अलावा) में संचालित विकेंद्रीकृत नियंत्रण कक्षों द्वारा किया जाता है। 108 हरियाणा एम्बुलैंस सेवा को 112–आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली के साथ पायलट आधार पर दो जिलों फरीदाबाद, गुरूग्राम में जुलाई, 2021 से समायोजित कर दिया गया है ।

मातृ मृत्यु अनुपात

6.12 हरियाणा राज्य में मातृ मृत्यु दर 127 (एस.आर.एस. 2011–13) से घटकर 110 (एस.आर.एस. 2018–20), नवजात मृत्यु दर (एन.एम.आर.) 26 (एस.आर.एस. 2013) से 19 (एस.आर.एस. 2020), शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 41 (एस.आर.एस. 2013) से 28 (एस.आर.एस. 2020), अंडर–5 मृत्यु दर 45 (एस.आर.एस. 2013) से 33 (एस.आर.एस. 2020), और जन्म के समय लिंग अनुपात 868 (सी.आर.एस. 2013) से बढ़कर 915 (दिसम्बर, 2022 तक) हो गया है। सितंबर, 2022 तक, राज्य में 97.1 प्रतिशत संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए। हरियाणा में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 97 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल किया है।

मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना

6.13 मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना (एम.एम.आई.वाई.) के तहत 7 प्रकार की सेवाएं जैसे सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण, डायग्नोस्टिक्स (एक्स–रे, ई.सी.जी. और अल्ट्रासाउंड सेवाएं), ओ.पी.डी/इनडोर सेवाएं, आवश्यक दवाएं, रेफरल परिवहन और दंत चिकित्सा उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

6.14 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शामिल हैं, का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करके स्वास्थ्य देखभाल को सार्वभौमिक पंहुच प्रदान करना हैं। मिशन के मुख्य घटकों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, संचारी और गैर–संचारी रोगों पर नियंत्रण करना तथा प्रजजन, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन स्वच्छता, पोषण और सुरक्षित पेयजल जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों का प्रभावी एकीकरण करने का प्रयास करता है। वर्ष–वार अनुमोदित बजट और खर्च का विवरण **तालिका 6.1** में दिया गया है।

तालिका– 6.1 में वर्ष–वार अनुमोदित बजट और खर्च का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	आर.ओ.पी. / अनुमोदन	प्राप्त बजट (नगद + आई.एम.अनुदान)	खर्च (नगद + आई.एम. अनुदान)	प्राप्त बजट का % उपयोग
1	2012–13	413.80	388.60	368.00	95
2	2013–14	514.74	416.05	468.27	113
3	2014–15	531.65	379.75	486.13	128
4	2015–16	573.46	482.94	488.16	101
5	2016–17	523.65	508.49	488.17	96
6	2017–18	635.66	494.19	534.25	108
7	2018–19	815.81	743.10	659.65	89
8	2019–20	999.96	768.77	747.21	97
9	2020–21	1139.78	921.20	806.05	88
10	2021–22	1331.90	903.98	880.82	97
11	2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)	1443.27	749.62	641.84	86

स्त्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा।

आपातकालीन कोविड रिलीफ फंड–II

6.15 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने "इंडिया कोविड–19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज–चरण–II के तहत कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए शेयरिंग पैटर्न में वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 304.04 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। ई.सी.आर.पी.–II की स्वीकृत राशि के मुकाबले 25.75 करोड़ रुपये की राशि जिलों को मंजूर की गई है, 169.76 करोड़ रुपए एच.एम.एस.सी.एल. / पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड.आर.) को हस्तांतरित की गई हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखीदादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल और हिसार जिलों में 8 मॉलिक्यूलर लैब खोलने के लिए ई.सी.आर.पी. –II के तहत धनराशि की मंजूरी दे दी गई है।

ई–संजीवनी ओ.पी.डी.

6.16 ई–संजीवनी ओ.पी.डी., भारत सरकार की राष्ट्रीय टेली–परामर्श सेवाओं के तहत एक ऑनलाइन स्टे होम ओपीडी की शुरुआत हरियाणा में 01–05–2020 को की गई है। वीडियो कॉल पर घर पर रहकर लैपटॉप, डेस्कटॉप या एंड्रॉइड स्मार्ट फोन का उपयोग करके वीडियो कॉल / लाइव चैट के माध्यम से कोई भी डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर जांच रिपोर्ट को अपलोड किया जा सकता है, जिसे देखकर डॉक्टर ई–प्रिस्क्रिप्शन पर लैब टेस्ट या दवा लिख सकते हैं जो हरियाणा की सारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मान्य हैं। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। हरियाणा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार 16–08–2021 से पूरे राज्य में ई–संजीवनी ओ.पी.डी. की सेवा 24X7 उपलब्ध है। ई–संजीवनी ओ.पी.डी. टेली परामर्श के कार्यान्वयन को माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा सुशासन पुरस्कार 2020–21 से सम्मानित किया गया है साथ ही एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा डिजिटल तकनीक सभा एक्सीलैंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मातृ स्वास्थ्य

6.17 राज्य में मातृ स्वास्थ्य सूचकों में काफी सुधार हुआ है। नवंबर, 2020 में जारी नवीनतम एम.एम.आर. बुलेटिन के अनुसार, हरियाणा का एम.एम.आर. 110 (एस.आर.एस.– 2018–20) हो गया है। 24X7 प्रसव सुविधाओं के संचालन के माध्यम से संस्थागत प्रसव को

बढ़ावा देना। संस्थागत प्रसव बढ़कर 97.3 प्रतिशत दिसम्बर, 2022 तक हो गई हैं।

शिशु स्वास्थ्य

6.18 वर्तमान में हरियाणा की शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 28 है (एस.आर.एस. 2020 के अनुसार) जिसमें वर्ष 2013 से 13 अंकों की (2013 में आई.एम. आर.–41) उल्लेखनीय रूप से कमी हो गई है। स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स (एस.एन.सी.यू.) वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के इन 24 एस. एन.सी.यू. में कुल 24,689 नवजातों को भर्ती किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 3,39,150 बच्चों के अनुमानित लक्ष्य के मुकाबले कुल 3,28,049 (स्रोत–एचएमआईएस) बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण करके 97ः एफआईसी का कवरेज प्राप्त किया गया है।

पल्स पोलियो

6.19 उप–राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एस.एन.आई.डी.) जून, 2022 का एस.एन.आई. डी. राउंड हरियाणा के 13 जिलों में आयोजित किया गया जिसमें 25.6 लाख शिशुओं (0 से 5 वर्ष) को पोलियो की खुराक दी गई। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एन.आई.डी.)–फरवरी, 2022 में एन.आई.डी. राउंड के दौरान कुल लगभग 35.73 लाख शिशुओं (0 से 5 वर्ष) को पोलियो की खुराक दी गई।

कोविड–19 वैक्सीनेशन की स्थिति

6.20 वर्ष 2021–22 के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने "इंडिया कोविड–19 हेतु आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज–चरण–II के लिये 304.04 करोड रूपये की राशि शेयरिंग पैटर्न में 4 दिसम्बर, 2022 तक कोविड–19 वैक्सीन की पहली दूसरी, एहतियाती खुराक (लगभग 4.54 करोड़ डोजिज) हेतु प्रदान की है।

राष्ट्रीय एम्बुलैंस सेवा

6.21 वर्तमान में 617 एम्बुलैंस (153 एडवांस लाइफ सपोर्ट, 167 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलैंस, 257 पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलैंस और 34 किलकारी/घर वापसी, 6 नवजात के लिए एम्बुलैंस) 22 जिलों में कार्यरत हैं, जोकि हरियाणा के 21 जिलों में विकेंद्रीकृत नियंत्रण कक्षों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)

6.22 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका लक्ष्य जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरुआती पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप करना है ताकि 4 'डी', जन्म के समय दोष, कमियां, रोग, विकलांगता सहित विकास में देरी को कवर किया जा सके। प्रतिवर्ष लगभग 30 से 35 लाख बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। लगभग 3.95 लाख बच्चों में स्वास्थ्य समस्याओं की पुष्टि हुई है और 3.86 लाख बच्चों ने जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (अप्रैल से अक्टूबर, 2022 तक) सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में उपचार सेवाओं का लाभ उठाया है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)

6.23 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मई, 2013 में झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाली शहरी गरीब आबादी और अन्य सभी कमजोर आबादी (बेघर, कचरा बीनने वाले, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले, यौनकर्मी, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, सड़क पर रहने वाले बच्चे आदि) पर ध्यान देने के साथ एन.एच.एम. की प्रस्तुति के रूप में लॉन्च किया गया था। सारी सेवाएं शहरी पी.एच.सी. के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में, हरियाणा में 106 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, जो लगभग 2,500–3,000 की औसत मासिक ओ.पी.डी. के साथ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

सामुदायिक प्रक्रिया (आशा)

6.24 राज्य में 20,676 के लक्ष्य के मुकाबले कुल 20,382 (अर्थात 31–12–2022 तक 98.58 प्रतिशत) आशा ने नामांकन किया। 01–03–2021 से 31–12–2022 तक कुल 376 आशाओं की सेवानिवृत्ति/हटाया गया/काम छोड़ दिया/मृत्यु हो गई और 01–03–2021 से 31–12–2022 तक कुल 555 नई आशाओं का नामांकन किया गया।

आयुष्मान भारत

6.25 इस स्कीम के तहत आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एच.डब्ल्यू. सी.) व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं, जो उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वभौमिक और मुफ्त है। कल्याण पर ध्यान देने और वर्तमान में सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के वितरण के साथ उप केन्द्र स्तर के स्वास्थ्य एवं कल्याणा केन्द्रों पर 1,294 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कार्यरत हैं अगले फेस में 527 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती शुरू कर दी गई और उनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रगति पर है और अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र जल्द ही चालू हो जायेगें। दिनांक 14—02—2023 तक कुल 2,043 एच.डब्लयू.सी. (1,468 उप केन्द्र, 390 ग्रामीण पी.एच.सी., 106 शहरी पी.एच.सी. और 79 यू.एच.डब्ल्यू. सी.) चालू है।

तालिका 6.2— राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मुख्य स्वास्थ्य संकेतक

क्रम सं.	स्रोत के साथ संकेतक	वर्ष	वर्ष
		2013—14	2022—23 (दिसम्बर, 2022 तक)
1	नवजात मृत्यु दर (एन.एम.आर.)	26 (एस.आर.एस. 2013)	19 (एस.आर.एस. 2020)
2	शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.)	41 (एस.आर.एस. 2013)	28 (एस.आर.एस. 2020)
3	मातृ मृत्यु अनुपात	127 (एस.आर.एस. 2011—13)	110 (एस.आर.एस. 2018—20)
4	प्रथम रेफरल इकाई	40 (फरीदाबाद में 2 शहरी एफ.आर.यू. सहित)	55 (फरीदाबाद में 2 शहरी एफ.आर.यू. और आकांक्षित जिले नूह में 2 नए एफ.आर.यू. सी.एच.सी. तावरू और सी.एच.सी. एफ.पी. झिरखा सहित)
5	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर	45 (एस.आर.एस. 2013)	33 (एस.आर.एस. 2020)
6	जन्म के समय लिंग अनुपात (सी.आर.एस.)	868 (सी.आर.एस. 2013)	915 (अक्टूबर, 2022 तक)
7	संस्थागत प्रसव (एच.एम.आई.एस.)	90.37 प्रतिशत (2017)	97.3 प्रतिशत (दिसम्बर, 2022 स्रोत— एच.एम.आई.एस.)
8	पूर्ण टीकाकरण (स्रोत —एच.एम.आई.एस.)	85.7 प्रतिशत	97 प्रतिशत (दिसम्बर, 2022 तक) भारत सरकार के लक्ष्य के मुकाबले
9	आशा	16,800 93.33 प्रतिशत	20382 (98.50 प्रतिशत) (दिसम्बर, 2022 तक)
10	विशेष नवजात देखभाल इकाई (एस.एन.सी.यू.)	15	24 (2020—21)
11	नवजात स्थिरीकरण इकाई (एन.बी.एस.यू.)	52	66 (2020—21)
12	नवजात देखभाल कॉर्नर (एन.बी.सी.सी.)	192	318 (2020—21)

स्त्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा।

प्रशासन प्रभाग

6.26 माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने स्वास्थ्य विभाग के सभी संविदा कर्मचारियों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। प्रथम चरण में 9,068 एन.एच.एम. और एन.यू.एच.एम. कार्यकर्ताओं (जिनके पास पी.पी.पी आईडी हैं) को 5,000 रुपए दिए गए हैं, जिन्होंने कोविड–19 महामारी के दौरान काम किया था। दूसरे चरण में बाकी एन.एच.एम. और एन.यू.एच.एम. कार्यकर्ताओं (कोविड एचआर सहित लगभग 4,700) को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सेवा उपनियमों के लाभ का विस्तार के तहत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के सभी संविदा कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर राज्य को प्रतिवर्ष 135 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय देनदारी वहन करनी होगी और इससे 13,451 कर्मचारियों को लाभ होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतंर्गत मुख्य स्वास्थ्य संकेतक **तालिका 6.2** में दिये गये है।

आयुष

6.27 आयुर्वेद, योगा तथा नेचरोपैथी, युनानी, सिद्वा एवं होम्योपैथी (आयुष) औषधी प्रणाली की भारत वर्ष के सभी वर्गों में प्राचीन समय से मान्यता है। यह हजारों वर्षों तक उपयोग करके जॉची और परखी हुई पैथियाँ हैं जिसमें ये रोगों की रोकथाम करने तथा रोगों को फैलने से बचाती है। आयुष औषधी प्रणाली आजकल रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न होने वाले बहुत से क्रोनिक रोगों के उपचार एवं रोकथाम में, जिनका ईलाज आधुनिक चिकित्सा में सम्भव नहीं हैं, महत्वपुर्ण भुमिका निभाती है। जीवन के रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न बहुत सी बिमारियों के बढने के कारणों को देखते हुए लोगों का रूझान आयुष पैथियों की तरफ, देश में तथा दूसरे देशों में भी होने लगा है।

6.28 आयुष विभाग, हरियाणा राज्य के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहा है एवं स्वास्थ्य बारे जागरूक कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए 4 आयुर्वेदिक हस्पताल, 1 युनानी हस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 पचंकर्मा केन्द्र तथा 515 आयुर्वेदिक, 19 युनानी एवं 26 होम्योपैथिक औषधालय तथा एक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान, सैक्टर–3, पंचकुला में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 33 आयुष औषधालय (29 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी एवं 2 होम्योपैथिक) 3 स्पैशल आयुष क्लीनिक (गुड़गाव, हिसार, अम्बाला) तथा 1 स्पैशलाईजड थैरेपी सैन्टर जींद में स्थानांतरित व अपग्रेड किये गए है। वर्ष 2009–10 में 21 आयुष विंग जिला हस्पतालों पर, 98 आयुष ओ0 पी0 डी0, सामुदायिक स्वास्थय केन्द्रों पर तथा 109 आयुष ओ.पी.डी. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे है तथा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग ले रहे है। अधिकतर आयुष संस्थान ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

6.29 ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा आयुष विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए 94.5 एकड भूमि लीज आधार पर प्रदान की गई है। 14 विषयों मे 82 सीटों पर एम.डी. कोर्स श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज/हस्पताल द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। राज्य मे आयुर्वेदिक शिक्षा को बढावा देने के लिए 1 और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राम पट्टीकरा (नारनौल) में शुरू किया गया है। वर्ष 2022–23 सत्र के लिए बी.ए.एम.एस. की 100 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया जारी है।

6.30 भारत सरकार द्वारा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान गांव देवरखाना जिला झज्जर में स्थापित किया जा चुका है। इस संस्थान को स्थापित करने के भारत सरकार को 166.11

कनाल भूमि प्रदान की गई। ओ.पी.डी. शुरू हो चुकी है। गांव अकेंडा मे 45.43 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय यूनानी कालेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा हैं और 48 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

6.31 भारत सरकार ने 250 बेड वाले आई.पी.डी. (100 आयुर्वेद और 150 प्राकृतिक चिकित्सा) और हर साल 500 से अधिक छात्रों को यू.जी., पी.जी., पी.एच.डी. डिग्री प्रदान करने के साथ आयुर्वेदिक उपचार, शिक्षा और अनुंसधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। श्री माता मनसा देवी श्राईन बोर्ड, पंचकूला द्वारा 19.87 एकड भूमि 33 वर्ष के लिए लीज आधार पर आयुष मत्रालय, भारत सरकार को प्रदान की गई है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर–संचारी रोगों के लिए यूनानी चिकित्सा पद्वति में 120 बिस्तरों वाले राष्ट्रीय स्तर के संस्थान को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस संस्थान की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 68 कनाल 17 मरले (लगभग 9 एकड) गांव खेड़ी गुजरा जिला फरीदाबाद की भूमि स्थानांतरित की जा चुकी है। सरकार मय्यड, हिसार में 50 बिस्तर एकीकृत सरकारी आयुष अस्पताल, स्थापित करने के लिए सहमत है। इसके लिए 15 एकड भूमि चिन्हित की गई है और एक रूपये प्रति एकड के हिसाब से 33 वर्ष के लिए आयुष विभाग के नाम स्थानातरित की गई है और 85 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

रोग प्रतिरोधक दवाईयां

6.32 आयुष विभाग द्वारा वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाने हेतू कुल राशि 7.72 करोड रूपये की दवाईयां जैसे कि गुडुची घन वटी, संशमनी वटी, अनु तेल और जन आरोग्य क्वाथ पुलिस विभाग, नगरपालिकाओं के कार्यालय, पंचायती राज, वृद्व आश्रम, वरिष्ठ नागरिको तथा कंटोनमेन्ट जोन मे कुल 26.73 लाख व्यक्तियों को दवाईयां वितरित की गई है।

6.33 वित्त वर्ष 2021–22 में आयुष विभाग के लिए 199.48 करोड़ रूपये प्लान (नॉन रैंकरिंग/प्लान) स्कीम के लिए तथा 15.73 करोड़ रूपये की राशि (रैंकरिंग/नॉन प्लान) स्कीम के लिए खर्च की गई थी। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्लान (नॉन रेकरिंग) स्कीम के लिए 310.01 करोड़ रूपये तथा प्लान (रेकरिंग/नोन प्लान) स्कीम के अन्तर्गत 10.60 करोड़ रूपये की राशि आयुष विभाग के लिए स्वीकृत की गई है।

ई.एस.आई. स्वास्थ्य संरक्षण

6.34 वर्ष 2021–22 के दौरान सरकार द्वारा हिसार, रोहतक, करनाल, अम्बाला, सोनीपत व पंचकुला में नए 100 बिस्तरीय ई. एस.आई.सी. हस्पताल की प्रशासनिक अनुमोदना प्राप्त हो गई है, जिसमें ई.एस.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान हिसार, रोहतक, अम्बाला व सोनीपत को सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। सरकार द्वारा 14 नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी करनाल, रोहतक, गन्नौर, मौलाना, घरौंडा, फारूखनगर, कोसली, साहा, छछरौली, पटौदी, चरखी दादरी व उकलाना मंडी में खोलने की प्रशासनिक अनुमोदना प्रदान की गई है। 14 ई.एस.आई. डिस्पैंसरी में से रोहतक, पटौदी, चरखी दादरी और झाडली को ई.एस.आई.सी.,नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अन्य डिस्पैंसरियों की सैद्धांतिक स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी कुरूक्षेत्र, तरावडी व चरखी दादरी में खोल दी गई है, ई.एस.आई. डिस्पैंसरी कुरूक्षेत्र व तरावडी में कार्यरत है। ई.एस.आई. डिस्पैंसरी चरखी दादरी और जाडली जल्द ही स्वीकृत होगी।

6.35 बीमाकृतों के लिए जिला अम्बाला क्षेत्र में कैशलैस आधार पर द्वितिय चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए 3 अन्य प्राईवेट

हस्पतालों को सी.जी.एच.एस. भाव दर अनुसार एम्पैनल कर लिया गया है। गौण चिकित्सा सुविधा प्रदान करने बारे कैशलैस आधार पर बीमाकृतों के लिए 109 प्राईवेट हस्पतालों को वर्ष 2022–23 के दौरान एम्पैनल्ड कर लिया गया है।

6.36 नई पहलें

- ई.एस.आई.सी. हस्पताल गुरूग्राम को 163 बिस्तरीय हस्पताल से 500 बिस्तरीय हस्पताल में विस्तार करवाना।
- 100 बिस्तरीय हस्पताल बहादुरगढ़ (झज्जर) व बावल (रेवाडी) का निर्माण जल्द से जल्द करवाना और जिला सोनीपत में ई.एस.आई. डिस्पैंसरी बरही व राई के लिए शीघ्र भवन का निर्माण करवाना।
- करनाल, अम्बाला, रोहतक, सोनीपत और हिसार में 100 बिस्तरीय ई.एस.आई. हस्पताल खोलना।
- ई.एस.आई. के नार्मस अनुसार प्रत्येक ई. एस.आई. संस्था में एम्बूलैंस उपलब्ध करवाना व प्रत्येक ई.एस.आई. संस्था में एक्स–रे मशीन, लैब सुविधा व उपकरण (सैलॅ काउंटर, ऑटोएनालईज़र व बाईनोकुलर माईक्रोस्कोप) उपलब्ध करवाना।
- ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों में दन्तक सुविधा व उपकरण उपलब्ध करवाना।
- ई.एस.आई. डिस्पैंसरी करनाल, रोहतक, झाडली, भूना, गन्नौर, मौलाना, घरौंडा, फारूखनगर, कोसली, साहा, छछरौली, पटौदी, चरखी दादरी, उकलाना मंडी और खरखौदा में नई 2 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलना।
- 4 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी पिंजौर (पंचकुला) को 30 बिस्तरीय ई.एस.आई. हस्पताल में अपग्रेड करना।
- ई.एस.आई. डिस्पैंसरी अम्बाला, मुरथल, समालखा डिस्पैंसरी संख्या 1 तथा संख्या 3 बहादुरगढ, पलवल, हिसार, ई.एस. आई. डिस्पैंसरी संख्या 3 जगाधरी, रेवाडी और बहादुरगढ में 2 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी से 5 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी अपगैड किया गया।
- सभी ई.एस.आई. संस्थानों में फिजियोथैरेपी यूनिट स्थापित किया गया।
- विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के ज्ञान को अपगेड करने के लिए नये प्रशिक्षण केन्द स्थापित किये गये।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

6.37 राज्य में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की स्थापना चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन, विस्तार और नियमन हेतु की गई है। राज्य में विभिन्न चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष, नर्सिंग और पैरा मैडिकल संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर, 2014 द्वारा बनाया गया था। राज्य में मौजूदा कार्यशील संस्थानों की स्थिति का विवरण **तालिका 6.2** में दिया गया है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, कुटैल जिला करनाल

6.38 उत्कृष्टता केन्द्र के रुप मे एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना ग्राम कुटेल जिला करनाल मे की जा रही है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को 21–09–2019 को अधिसूचित किया गया था और इसके संशोधन को 02–04–2018 को अधिसूचित किया गया था जिसके द्वारा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया था।

- ग्राम पंचायत, कुटैल ने स्वास्थय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को 144 एकड 2 मरला भूमि पट्टे पर दी है। प्रोजैक्ट के लिए क्रियान्वयन के लिए कार्य एम./एस. ब्रिज व रूफ. को. (I) लिमिटेड 12–12–2018 को सौंपा गया है जोकि भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। विस्तृत प्रोजैक्ट रिर्पोट की राशि सरकार द्वारा 761.51 करोड रुपये स्वीकृत किए गए है। यह प्रोजैक्ट

27 महीने में पूरा होगा तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है व 81.5 प्रतिशत तक कार्य पूरा कर लिया गया है।

- विश्वविद्यालय मे 730 बिस्तरों के साथ सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, पोस्ट ग्रेजुएट/पोस्ट डाक्टरेट शिक्षण (डी.एम/एम.सी.एच. पाठ्यक्रम) व अकादमिक ब्लाक, जैव प्रौद्योगिकी, प्रायोगिक चिकित्सा और जेनेटिकस इम्युनोलोजी और वायरोलोजी मे उन्नत अनुसंधान केंद्र जैसे अनुसंधान विभागों की सुविधायें होगी। इसमें दन्त महाविद्यालय, फार्मेसी महाविद्यालय, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और खेल चिकित्सा जैसे अन्य शैक्षणिक संस्थान भी होंगे। विश्वविद्यालय के कैम्पस में प्रीफैब तकनीक से नर्सिंग और फिजियोथैरेपी महाविद्यालय भी बनाये गये है।

पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भिवानी

6.39 राज्य सरकार स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत भिवानी मे एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया मे है, जो मौजुदा जिला अस्पताल को अपग्रेड करके बनाया जायेगा। परियोजना का निष्पादन कार्य एम./एस. ब्रिज एंड रुफ, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दिया गया है। कार्यकारी ऐजैसी द्वारा तैयार की गई ड्राईंग व संशोधित डी.पी.आर. 535.55 करोड रूपये राज्य वित समिति–सी की बैठक में स्वीकृत की जा चुकी है। इस परियोजना का कार्य 27 महीने मे पूर्ण हो जाऐगा। निमार्ण कार्य शुरू कर दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है व 49.5 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

तालिका 6.2– मौजूदा कार्यशील संस्थानों की स्थिति

संस्थान	सरकारी	निजी	कुल संस्थान	कुल सीटें	
चिकित्सा महाविद्यालय	6 1 सरकारी सहायता प्राप्त	6	13	एम.डी./एम.एस. एम. बी.बी.एस	708 1,835
दंत महाविद्यालय	1	10	11	बी. डी एस. एम. डी.एस.	950 244
फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	5	14	19	बी.पी.टी. एम्.पी.टी.	1,320 498
नर्सिग स्कूल	11	101	112	ए.एन.एम. जी. एन.एम.	3,023 3,710
नर्सिंग कालेज	3	41	44	बी.एस.सी.	12,420
				पी.बी.बी.एस.सी. एम.एस.सी. एन.पी.सी.सी.	1,585 447 45
एम.पी.एच.डब्ल्यू.	2	24	26	एम.पी.एच.डब्लय.	1,560
पैरा–मेडिकल	4	1	5	बी.एस.सी. (एमएलटी)	35
				बी.एस.सी.(ओ.टी.)	50
				बी.एस.सी. (ऑप्टोमेट्री)	50
				बी.एस.सी.रेडियोथेरेपी)	10
				बी.एस.सी.(परफयूजन टेक्नोलॉजी)	10
				बी.स.सी.(रेडियोलॉजी और इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी)	40

स्त्रोंतः– चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम हैबतपुर, जींद

6.40 राज्य सरकार द्वारा जिला जींद में एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को स्थापित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत, हैबतपुर, जिला जींद, ने इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग को 24 एकड़ 3 कनाल 3 मरला जमीन दीर्घकालीन समय के लिए पट्टे पर दी है। पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा स्थल पर चारदीवारी का निर्माण किया जा चुका है। यह कार्य हरियाणा राज्य सड़क व विकास निगम को दिया गया है। कार्यकारी ऐजेंसी ने कन्सेप्ट प्लान की तैयारी के के लिए डिज़ाईन सलाहकार नियुक्त कर दिया है। कन्सेप्ट प्लान तैयार किया जा चुका है तथा सरकार द्वारा दिनांक 23–10–2019 को स्वीकृति भी दे दी गई है। 663.86 करोड रूपये की डी.पी.आर्. (पहले चरण के लिए 524.23 करोड़ रूपये और दूसरे चरण के लिए 139.63 करोड़ रूपये्) कार्यकारी एजेंसी द्वारा 03–03–2021 प्रस्तुत की गई जो कि मुख्यमंत्री व एस.एफ.सी.–सी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। परियोजना का सिविल वर्क एम./एस. एल.एण्ड.टी. कम्पनी, चेन्नई को सौंपा गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कार्य की कुल प्रगति 38 प्रतिशत है।

अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छायंसा, फरीदाबाद

6.41 राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के उददेश्य से गांव छायंसा में गोल्ड फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के बुनियादी ढांचे को खरीदने की संभावना तलाशने का फैसला किया, क्योंकि यह संस्थान मार्च, 2016 में प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया था। इस संस्थान ने छांयसा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया के नेतृत्व में 6 बैंकों के एक संघ से मार्च, 2016 तक 185 करोड़ रूपये के कुल एक्सपोजर साथ विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाया है। राज्य सरकार ने गोल्ड फील्ड शिक्षा संस्थान, फरीदाबाद की संपत्ति की ई–नीलामी में भाग लेने का निर्णय लिया। राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने 128 करोड़ रुपये की लागत से गोल्ड फील्ड संस्था फरीदाबाद की संपत्ति 13–03–2020 को खरीद की। अब यह संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छायंसा (फरीदाबाद) के नाम से जाना जाता है और वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए इसे कार्यात्मक बनाया गया है। होस्पिटल इसी कैंपस में कार्यरत है। कॉलेज को शैक्षिक वर्ष 2022–23 के लिए 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों के प्रवेश के लिए एन.एम. सी. द्वारा 29–07–2022 को एल.ओ.पी. प्रदान किया गया है, तदानुसार एम.बी.बी.एस. छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम कोरियावास, नारनौल

6.42 राज्य सरकार द्वारा जिला नारनौल में एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए ग्राम पंचायत, कोरियावास ने 76 एकड 2 कनाल़ 11 मरले जमीन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को दीर्धकालीन अवधि के लिए पट्टे पर दी है। इस परियोजना का निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. ब्रिज एंड रुफ को सौंपा गया है व 598 करोड रूपये की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एस.एफ.सी. द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसका निमार्ण कार्य प्रगति पर है तथा कार्य 89 प्रतिशत तक पूरा किया जा चुका है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कैथल

6.43 मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत कैथल जिले मे एक चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किया जा चुका है। इसके लिए जिला उपायुक्त कैथल द्वारा 20 एकड, 6 मरला, जमीन गांव सम्पन खेडी मे प्रस्तावित की गई थी। जोकि निदेशक, पंचायत विभाग द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के नाम 11–02–2021 को हस्तांतरित की जा चुकी है। जमीन का पट्टानामा निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के नाम तैयार किया जा चुका है। नीवं का पत्थर दिनांक 04–06–2022 को रखा गया। ब्रिज एंड रूफ

कम्पनी (आई.) लिमिटैड को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने 945.31 करोड़ रूपये की डी.पी.आर. को मंजूरी दे दी है ओर वित्त विभाग ने भी 12–12–2022 को डी.पी.आर. को मंजूरी दे दी है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिरसा

6.44 मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सिरसा जिले मे एक चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किया जा चुका है। इसके लिए जिला आयुक्त सिरसा द्वारा 21 एकड, 13 मरला, जमीन चौधरी चरण सिंह हरियाणा ऐग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हिसार मे प्रस्तावित की गई है। जमीन का पट्टानामा निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के नाम तैयार 12–04–2021 को हस्तांतरित की किया जा चुका है। एच.आई.टी.ई.एस.–एच.एल.एल. ईन्फ्राटैक सेवायें लिमिटैड को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है तथा 963.51 करोड़ रूपये की डी.पी.आर. सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है।

श्री गुरू तेग बहादुर साहिब, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, यमुनानगर

6.45 मुख्यमंत्री ने जिला यमुनानगर मे श्री गुरू तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की स्वीकृत दे दी है। इसके लिए ग्राम पंजुपुर जिला यमुनानगर में उपलब्ध 20 एकड़ 12 मरला भूमि का लीज डीड दिनांक 29–12–2021 को मंजूर किया गया है। ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (आई.) लिमिटेड को परियोजना के लिए कार्यकारी ऐंजसी के रूप में नियुक्त किया गया है। 997.03 करोड रूपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29–05–2022 को मंजूर किया गया है और वित्त विभाग ने दिनांक 12–12–2022 को डी.पी.आर. को भी मंजूरी दे दी है।

दन्त महाविद्यालय शहीद हसन खान मेवाती चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़, नुहं

6.46 दन्त महाविद्यालय का निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू..डी. (बी. एडं आर.) हरियाणा को 15–02–2019 को प्रदान किया गया था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरान्त यह कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एडं आर.) से एच. एस.आर.डी.सी. को हस्तांतरित कर दिया गया है। संशोधन पश्चात रूपये 172.65 करोड की अनुमानित लागत को एस.एफ.सी.–बी. द्वारा 04–10–2021 को मंजूर कर लिया गया है। शहीद हसन खान मेवाती सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय नल्हड़, नूंह परिसर में दंत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि का निर्धारण किया गया है। कार्यकारी संस्था ने कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की है। तकनीकी बोली दिनांक 24–05–2022 को खोली गई और कार्यकारी एजेंसी द्वारा दो नियमों और शर्तों में छूट के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को मामला भेजा गया था तथा निविदा वापिस लेने का फैसला लिया गया है।

नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना

6.47 मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में 6 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए घोषणायें की गई। इन 6 नर्सिंग कॉलेजों के लिए भूमि विभाग के नाम पर पट्टे पर दे दी गई है। इन नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी. पी.) को आंबटित किया गया है। परियोजना की ड्राईंग व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार द्वारा 194.30 करोड रूपये की स्वीकृत हो चुकी है। परियोजना का कार्य कार्यकारी ऐजेंसी का सौंपा जा चुका है जो कि 22 महीनों मे पूरा हो जाऐगा। परियोजना की प्रगति रिपोर्ट सादत नगर रेवाडी (88 प्रतिशत) दयालपुर फरीदाबाद 90 प्रतिशत) और, फरीदाबाद (90 प्रतिशत), धेडदु, कैथल (87 प्रतिशत), खेडी राम नगर, कुरुक्षेत्र (79 प्रतिशत) और खेडावाली, पिंजौर, पंचकूला (90 प्रतिशत) है। यह कार्य बहुत शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है ।

सफीदों, जींद में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन

6.48 सरकार द्वारा सफीदो जिला जींद मे किराए के भवन मे नर्सिंग कालेज शुरु किया है, जिसमें बी.एस.सी. कोर्स की 60 सीटें है।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग ने सफीदों मे राजकीय नर्सिंग कालेज के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को 4 एकड भूमि निशुल्क हस्तांतरित की है। इस परियोजना के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम को दिनांक 24—05—2021 को कार्यकारी ऐजेंसी के रुप मे नियुक्त किया गया है। कार्यकारी ऐजेंसी द्वारा इस परियोजना के लिए वास्तु चित्र व परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सी.ई.सी—सी.एम.सी. की सभा दिनांक 30—06—022 को आयोजित की गई थी और डी.पी.आर. योजना पर टिप्पणी के लिए पी. डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर.) विभाग, हरियाणा को मामला भेजा गया है ।

रेवाड़ी में एम्स की स्थापना

6.49 केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिनांक 01—02—2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा में 22वें एम्स की स्थापना की घोषणा की। उसी के लिए माजरा मुस्तिल भालखी और उसके आसपास के गांव के लिए ई—भूमि पोर्टल खोला गया था, जिस पर कुल 347.49 एकड़ भूमि की पेशकश की गई है। एम्स की स्थापना के उद्देश्य से ई—भूमि पोर्टल के माध्यम से रेवाड़ी के माजरा मुस्तिल भालखी गांव में कुल 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि चिन्हित की गई है। इसमें से 149 एकड़ 4 कनाल 14 मरला भूमि निजी स्वामियों की है और 60 एकड़ 6 कनाल 11 मरला भूमि ग्राम पंचायत की है। दिनांक 20—10—2022 के 189 एकड़ 6 मरला 3 सरसई भूमि का प्रतीकात्मक कब्जा भारत सरकार के स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया है । मंत्रि परिषद ने दिनांक 01—12—2022 को हुई बैठक में हरियाणा राज्य में एम्स की स्थापना के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय को 99 वर्षो के लिए कुल 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि 1 रूपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

गुरूग्राम में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल

6.50 नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड, गुरूग्राम के सहयोग से गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकारण को 29 एकड़ भूमि पर गांव खेड़की माजरा, गुरूग्राम में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है।

चिकित्सा महाविद्यालयों की नई घोषणा

6.51 बजट सत्र 2022 में मुख्यमंत्री ने जिला पंचकूला, फतेहाबाद और चरखी दादरी में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। सम्बन्धित जिलों के उपायुक्तों से 50 एकड़ भार मुक्त पंचायत भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। वर्ष वार खर्चे का विवरण **तालिका 6.3** में दिया गया है।

तालिका 6.3 वर्ष वार खर्चे का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	खर्चा (करोड़ रूपये में)	वृद्वि प्रतिशत में
1	2014-15	701.01	-
2	2015-16	726.07	3.57
3	2016-17	879.36	21.11
4	2017-18	882.34	0.33
5	2018-19	914.17	3.60
6	2019-20	1245.38	36.23
7	2020-21	1601.52	28.59
8	2021-22	1820.24	13.65
9	2022-23 (17.01.2023)	2072.00	-

स्त्रोंतः— चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

अन्य उपलब्धियां

- **स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त काउंसलिंग**–विभाग केंद्रीयकृत संयुक्त ऑनलाइन परामर्श पोर्टल के माध्यम से सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिए प्रवेश आयोजित कर रहा है।
- **हरियाणा नर्सिस और नर्स मिडवाइव्स काउंसिलः–** राज्य में नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और पंजीकरण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, इस सरकार ने एक नया अधिनियम हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स एक्ट, 2017 लागू किया गया है और हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स काउंसिल की स्थापना की है, जिसने तत्कालीन मौजूदा हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल की जगह ले ली है और अब हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स काउंसिल हरियाणा राज्य में नर्सिंग शिक्षा का नियमन कर रही है। इससे पहले हरियाणा नर्स पंजीकरण परिषद ने पंजाब नर्स पंजीकरण अधिनियम, 1932 को अपनाया था और हरियाणा नर्स पंजीकरण परिषद के कार्यकारी निकाय/ शासी निकाय की संरचना में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित था। हरियाणा नर्स पंजीकरण परिषद अपने सीमित जनादेश के साथ कार्यात्मक था और नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ती मांगों का सामना करने में सक्षम नहीं था। इसलिए, यह महसूस किया गया कि हरियाणा राज्य में एक सुसंगत और व्यापक अधिवास निकाय बनाने की आवश्यकता है।
- **आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन**–विभाग ने आयुष्मान भारत मिशन को सफलतापूर्वक सरकारी मैडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में लागू किया है। पहले चरण में, यह योजना सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मैडिकल कॉलेजों अर्थात पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक के.सी.जी.एम.सी. करनाल, बी.पी. एस.जी.एम.सी. (डब्ल्यू) खानपुर कलां, सोनीपत में लागू की गई है, शहीद हसन खान मेवाती, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़, नूंह और महाराजा अग्रसैन, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अग्रोहा, हिसार पूरे देश में योजना के तहत ईलाज किए गए रोगी के लिए पहला सफल दावा के.सी.जी.एम.सी., करनाल द्वारा किया गया है।
- **उपचार के लिए सस्ती दवा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण–**ए.एम.आर.आई.टी. फार्मेसी राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में खोले गए और पूर्णतः कार्यरत है।
- **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना–** इस के तहत राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जो पूर्णतः कार्यरत है।

हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद

6.53 राज्य में भौतिक–चिकित्साविदों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए तथा भौतिक–चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता देने के लिए तथा भौतिक–चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा के मानकों के समन्वयन तथा अवधारण के लिए सरकार द्वारा एक नया अधिनियम हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद, अधिनियम, 2020 पारित किया गया है व हरियाणा राज्य भौतिक–चिकित्सा परिषद् का गठन किया गया है। परिषद द्वारा नियमित रूप से कार्य करना शुरू कर दिया गया है तथा इस परिषद के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति सरकार द्वारा की जा चुकी है। अभी तक भौतिक परिषद् द्वारा बी. पी.टी. कोर्स 706, एम.पी.टी. कोर्स 96 व पी.एच. डी. कोर्स 2 का पंजीकृत किया गया है।

6.54 कार्यात्मक चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्धियां

- पडिंत भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक 2,000 बिस्तर और 250 वार्षिक प्रवेश की क्षमता है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक को फरवरी, 2017 में एन.ए.ए.सी.ग्रेड से सम्मानित किया गया और देश के सभी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों में दूसरे रैंक पर है।
- पी.जी.आई.एम.एस. को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप

में अनुमोदित किया गया है। स्पोर्ट्स दवाईयों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जल्द ही शुरू किए जाएंगे।

- सीटी स्कैन और एम.आर.आई. सुविधाओं को वर्ष 2017 में एन.ए.बी.एच से मान्यता प्राप्त हुई।
- बायो–केमिस्ट्री लैब को वर्ष 2017 में एन.ए.बी.एल से मान्यता प्राप्त हुई।
- स्टेट ऑफ द आर्ट 120 बैड का धंवन्तरी एपेक्स ट्रॉमा सेंटर जनवरी, 2018 से 5 आधुनिक ओपरेशन थियेटर, 22 बैड का आई.सी.यू, ट्राइएज एरिया में 30 बैड और एक 3 टेस्ला एम.आर.आई. के साथ चालू किया गया है। पिछले 6 मास में 50,000 से अधिक मरीजों का ईलाज किया गया है।
- 200 बिस्तर वाला मातृ और शिशु शीर्ष अस्पताल को हाल ही में चालू किया गया है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मातृ और शिशु शीर्ष अस्पताल है ।
- कैंसर के रोगियों की सुविधा हेतू एक्सीलेटर का निर्माण प्रक्रियाधीन है।
- विश्वविद्यालय में कैंसर और विकिरण ऑन्कोलॉजी पर अध्ययन के लिए इंडो जापानी सहयोग की तरह विभिन्न विदेशी संगठन हैं, जार्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्मार्ट हैल्थ एक विस्तृत प्रोजैक्ट है।
- श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारियों के लिए बहु–मंजिला नया आवासीय विंग व विभिन्न निर्माण परियोजनाएं जैसे मुर्दाघर, खेल चोट केंद्र आदि प्रक्रियाधीन हैं।

भगत फूल सिंह महिला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत

6.55 550 बिस्तर के लिए वार्षिक 120 प्रवेश की क्षमता है। (क) संस्थान में विभिन्न विशिष्टताओं के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।(ख) महाविद्यालय अस्पताल में 2 डायलिसिस यूनिट स्थापित की गई है।

शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नलहड़, नूंह

6.56 652 बिस्तर के लिए वार्षिक 120 प्रवेश की क्षमता है। (क) मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए सी.बी. एन.ए.ए.टी. मशीन लगाई गई है।

कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल

6.57 550 बिस्तर के लिए वार्षिक 100 प्रवेश की क्षमता है । (क) अस्पताल दिनांक 13–04–2017 से कार्यात्मक हो गया और 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों के प्रथम बैच को शैक्षणिक सत्र 2017–18 में प्रवेश दिया गया। (ख) एम. आर.आई. 1.5 टेस्ला मशीन और 64 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है। (ग) विस्तृत प्रोजैक्ट रिर्पोट की राशि 373.25 करोड़ रूपये महाविद्यालय के द्वितीय चरण के निर्माण हेतू दिनांक 12–07–2021 को एस.एफ.सी. (सी) द्वारा स्वीकृत की गई है। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेयान कार्यकारी एजेंसी द्वारा इस परियोजना के 30 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है।

महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय अग्रोहा, हिसार

6.58 573 बिस्तर के लिए वार्षिक 100 प्रवेश की क्षमता है। (क) चिकित्सा महाविद्यालय को एम.बी.बी.एस. सीटों में 50 से 100 की वृद्धि की अनुमति मिल गई है और कई विशिष्टताओं में संस्थान में विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। (ख) पी.पी. पी. मोड पर कैथ–लैब ने 1 अगस्त, 2018 से कार्य करना शुरू कर दिया है। (ग) ट्रामा सेंटर और कैंसर संस्थान की स्थापना पाईपलाइन में है।

वैश्विक महामारी कोरोना–19 के बारे लिए गये निर्णय

6.59 चिकित्सा शिक्षा एंवम अनुसंधान विभाग, हरियाणा ने हाल ही में कोविड–19 के मामलों की वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थानों के कुल 1,393 छात्रों, जिसमें एम.बी.बी.एस. तृतीय एंव चुतर्थ वर्ष,

इंटर्न और पी.जी. छात्रों की सेवाएं अतिरिक्त सहायता के रूप में लेने का आदेश दिया है। (क) कोविड–19 महामारी को मध्यनज़र रखते हुए इस विभाग द्वारा विभाग के सभी सरकारी सहायता प्राप्त एंव निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को राज्य के विभिन्न जिलों के रोगियों के प्रबन्धन/उपचार के लिए रेफरल केन्द्रों के रूप में अपग्रेड और नामित किया गया है। (ख) हरियाणा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्याालयों में कोविड–19 के रोगियो की बेहतर देखभाल व सुविधाएं प्रदान करने के लिए आक्सीजन के साथ बिस्तों की कुल संख्या, वेंटिलेटर के साथ आई. सी. यू. बैड की कुल संख्या, चिकित्सा सामग्री, दवाओं की उपलब्धता तथा कोविड–19 के मरीजों के मामलों का समय पर पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि की गई है। (ग) राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों को विभिन्न जिलों के अस्पतालों से म्यूकोर्मिकोसिस रोग के प्रबन्धन के लिए रैफरल केन्द्र के रूप में नामित किया गया है । प्रत्येक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों मे कम से कम 75 बिस्तर आरक्षित रखे गए है तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशको को उनके संस्थान में मामलों की वृद्धि को देखते हुए उन्हे बैड बढाने की शक्तियॉ भी प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक रोगी की कम से कम दो बार जांच करने के लिए संयुक्त रूप से चक्कर लगाना शुरू कर दिया गया है तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशको को एम्फोटेरिसिन–बी जैसी दवाईयों को जारी करने हेतू सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशकों को रोगियों की देखभाल के लिए आवश्यक किसी भी दवा/ उपभोज्य की खरीद हेतू एक अवसर पर 5 लाख रूपये तथा अधिकतम 15 लाख रूपये तक खर्च करने की शक्तियां प्रदान की गई है। (घ) पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक के वरिष्ठ फैक्लटी से स्वास्थ्य विभाग के सभी जिला अस्पतालों के डाक्टरों को वैंटीलेटर की सेवाएं आरम्भ करने हेतू प्रशिक्षण/ अप–ग्रेडेशन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

6.60 कोविड–19 के मामलों मे अचानक आई वृद्धि और सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पर्याप्त आक्सीजन की आपूर्ति कराने हेतू

- राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में गैस मैनिफोल्ड का उन्नयन और बाहर निकलने वाली चिकित्सा गैस पाईप लाईन प्रणाली को उन्नत किया गया है।
- राज्य के सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.एस.ए. 1000 लीटर प्रति मिनट आक्सीजन उत्पादन संयत्र स्थापित किया जा रहा है।
- तरल चिकित्सा ऑक्सीजन टैंक 10,000 लीटर की क्षमता के साथ भगत फूल सिंह मेडिकल कालेज, खानपूर कलां, सोनीपत में स्थापित किया गया हैं तथा राज्य के सभी सरकारी व सरकारी अनुसंधान प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में लगाने का कार्य प्रकिया में है।
- राज्य के विभिन्न सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर मशीन क्षमता 10 एल.पी.एम. (400 नं0) से अधिक उपलब्ध करवाए गए हैं।

कल्पना चावला राजकीय मैडिकल कालेज, करनाल

6.61 373.25 करोड रूपये की परियोजना रिपोर्ट को एस.एफ.सी. द्वारा दिनांक 12–07–2021 को अनुमोदित किया गया है। हरियाणा पुलिस आवास निगम को परियोजना की कार्यकारी एजैन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनांक 25–10–2021 को कार्यकारी एजैन्सी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किये गये है। इस परियोजना को लगभग 30 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। निष्पादन एजैन्सी ने सिविल ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित की है। तकनीकी और वित्तीय बोली खोली गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में टेंडर वापिस लेने का निर्णय लिया गया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, पलवल की स्थापना

6.62 बजट सत्र 2022–23 के दौरान राज्य सरकार ने जिला पलवल में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। उपायुक्त पलवल से अनुरोध किया गया है कि वे पलवल में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायती भूमि के एक हिस्से की पहचान करें, जो दिनांक 14–07–2022 के इस कार्यालय पत्र और दिनांक 31–10–2022 और 14–12–2022 के अनुस्मरण द्वारा है। पलवल के उपायुक्त से तीन भूमि प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जो निम्नानुसार हैं राष्ट्रीय राजमार्ग–19 पर स्थित फुलवारी गांव में 200 एकड़ की पंचायती भूमि, ग्राम मीरपुर करौली में पंचायती भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग–19 पर जिला पुलिस लाइन, पलवल से सटे बामिनी खेड़ा गांव में चीनी मिल, पलवल के पास 60 एकड़ भूमि पार्सल जो सहयोग विभाग से सम्बन्धित है। सरकार ने दिनांक 18–10–2022 के आदेश के तहत पलवल में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक हिस्से के लिए उपयुक्त भार शुल्क की पहचान करने के लिए उपायुक्त पलवल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, चरखी दादरी की स्थापना

6.63 बजट सत्र 2022–23 के दौरान राज्य सरकार ने जिला चरखी दादरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। उपायुक्त चरखी दादरी से अनुरोध किया गया है कि वे चरखी दादरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक हिस्से की पहचान करें, जो दिनांक 14–07–2022 के इस कार्यालय पत्र और दिनांक 31–10–2022 और 14–12–2022 के अनुस्मरण द्वारा है। भिवानी–महेंद्रगढ़ के माननीय सांसद धर्मबीर सिंह से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि ग्राम पंचायत बिरही कलां 102 एकड़ भूमि मुफ्त देने के लिए तैयार है और बाढड़ा (चरखी दादरी) की विधायक श्रीमती नैना सिंह चौटाला से एक और अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि ग्राम सभा घसोला इस परियोजना के लिए 102 एकड़ भूमि मुफ्त देने के लिए सहमत है। इन अभ्यावेदनों को उपायुक्त, चरखी दादरी को जांच के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है और 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक हिस्से के लिए उपयुक्त प्रभार शुल्क की पहचान की गई है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद की स्थापना

6.64 बजट सत्र 2022–23 के दौरान राज्य सरकार ने जिला फतेहाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। उपायुक्त फतेहाबाद से अनुरोध किया गया है कि वे दिनांक 14–07–2022 के इस कार्यालय पत्र और दिनांक 31–10–2022 और 14–12–2022 के अनुस्मरण द्वारा फतेहाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक ही हिस्से के उपयुक्त भार शुल्क की पहचान करें। उपायुक्त, फतेहाबाद ने दिनांक 26–08–2022 के पत्र के माध्यम से एस.डी.एम. टोहाना और तहसीलदार भूना से प्राप्त भूमि प्रस्ताव **तालिका 6.4** में दिये गये हैं।

सरकारी मेडिकल कॉलेज, पंचकूला

6.65 बजट सत्र 2022–23 के दौरान राज्य सरकार ने जिला पंचकूला में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। उपायुक्त पंचकूला से अनुरोध किया गया है कि वे पंचकूला में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक हिस्से की पहचान करें। उपायुक्त, पंचकूला की रिपोर्ट आनी बाकी है। वर्षवार विभाग के बजट का विवरण **तालिका 6.5** में दिया गया है।

तालिका –6.4 में टोहाना और भूना से प्राप्त भूमि प्रस्ताव का विवरण

क्रसं	गांव का नाम	भूमि का विवरण	कलेक्टर रेट प्रति एकड़	भूमि मालिक का विवरण
1.	चन्दाड़ खुर्द (पहला भाग)	28 एकड़ 7 कनाल	14,50,000.	ग्राम पंचायत
2.	चन्दाड़ खुर्द (दूसरा भाग)	14 एकड 1 कनाल 11 मरला	14,50,000	ग्राम पंचायत
3.	चितान (पहला भाग)	28 एकड 1 कनाल 6 मरला	11,50,000	ग्राम पंचायत
4.	चितान (दूसरा भाग)	41 एकड 16 मरला	11,50,000	ग्राम पंचायत
5.	धारसूल खुर्द	35 एकड 4 कनाल 2 मरला	14,52,000	ग्राम पंचायत
6.	रसूलपुर	48 एकड 4 कनाल 10 मरला	14,52,000	ग्राम पंचायत
7.	भूना	40 एकड 6 कनाल 4 मरला	17,60,000	नगरपालिका समिति
	नगरपालिका समिति भूना निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।			

स्त्रोंतः– चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

तालिका–6.5 वर्षवार बजट का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	खर्चा (करोड़ रूपयें में)	वृद्वि प्रतिशत में
1	2014-15	701.01	-
2	2015-16	726.07	3.57
3	2016-17	879.36	21.11
4	2017-18	882.34	0.33
5	2018-19	914.17	3.60
6	2019-20	1245.38	36.23
7	2020-21	1601.52	28.59
8	2021-22	1820.24	13.65
9	2022-23 (31-01-2023 तक)	2072.00	

स्त्रोंतः– चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

खाद्य तथा औषधि प्रशासन

खाद्य खण्ड

खाद्य प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण

6.66 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधीन दो खाद्य प्रयोगशालाएं है, एक चण्डीगढ में तथा दूसरी करनाल में है, दोनों प्रयोगशालायें एन.ए.बी.एल. नोटीफाईड हो चुकी है तथा एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा दोनों खाद्य प्रयोगशालाओं को खंड 43 (1) ऑफ खाद्य एंव औषधि अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित किया गया। जिला खाद्य प्रयोगशाला करनाल के नवीनकरण हेतु 90.29 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं तथा 50 लाख रूपये अतिरिक्त अनुदान सहायता पहले से ही एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। जिला प्रयोगशाला करनाल का नवीनीकरण कार्य शीघ्र ही लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किया जाना हैं।

खाद्य लाईसैंस और खाद्य व्यवसायियों के अनुदान का ऑनलाईन पंजीकरण

6.67 विभाग द्वारा 7,678 ऑनलाईन और 20,102 ऑनलाईन खाद्य कारोबार कर्ताओं का पंजीकरण दिनांक 1–4–2022 से 31–10–2022 तक किया गया हैं तथा एफ.ओ.एस.सी.ओ.एस. के माध्यम से प्राप्त खाद्य लाईसैंस तथा खाद्य पंजीकरण की राजस्व रिपोर्ट के अनुसार कुल 4,23,34,700 रूपये हरियाणा राज्य को फीस के तौर पर प्राप्त हुई।

खाद्य पदार्थों के नमूने

6.68 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों/अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा हरियाणा राज्य की विभिन्न दुकानों/खाद्य कारोबार स्थानों से कुल 3,121 कानूनी खाद्य नमूने एकत्रित किये गये जिनमें से 1,019 खाद्य नमूने अधोमानक/अवमानक/असुरक्षित पाये गये। कुल 565 केस माननीय सी.जे.एम कोर्ट/निणर्य अधिकारी की अदालतों में दायर किये जा चुके है और अवमानक तथा अधोमानक केसों में कुल रूपये 68,90,400 का जुर्माना दोषी खाद्य कारोबारकर्ताओं पर लगाया गया है। असुरक्षित खाद्य नमूनों के बारे में खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरियाणा द्वारा 52 केसों के अभियोग पक्ष की स्वीकृति माननीय सी.जे.एम कोर्ट में केस दायर करने हेतू जारी की जा चुकी है।

मोबाईल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला

6.69 हरियाणा राज्य को 5 मोबाईल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध कराई गयी है। जिन्हें राज्य की आम जनता को जागरूक करने हेतू हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में घुमाया जाता है। जिसके लिए मामूली 20 प्रति खाद्य नमूना विश्लेषण फीस रखी गई है।

गुटका पान मसाला पर प्रतिबंध

6.70 खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरियाणा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3/14–2 फूड–2022/8148–8257 दिनांक 07–09–2022 द्वारा हरियाणा राज्य में गुटका पान मसाल के निर्माण/बिक्री एवं भण्डारण पर अगले एक वर्ष के लिए प्रतिबंध किया गया है।

तरल नाईट्रोजन पर प्रतिबंध

6.71 खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरियाणा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3/14–2 फूड–2017/15080 दिनांक 27–07–2017 द्वारा हरियाणा राज्य में आगामी आदेशों तक किसी भी तरल खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रण पर प्रतिबंध किया गया है।

औषधि विंग

6.72 औषिधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 तथा (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954, कोटपा (पैकिंग और लेबलिंग) नियम, 2008, जहर अधिनियम,1919 के विनियमों के लिए एक प्रवर्तन विभाग है। विभाग गुणवत्ता वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को सस्ती कीमतों पर उपलब्धता भी सुनिश्चित करता हैं।

6.73 इस अवधि के दौरान औषधि विगं द्वारा 6,074 सेल ईकाइयो का निरीक्षण किया गया, 1,361 सैम्पल लिए गए, 1,713 सैम्पलों का परीक्षण हुआ, 11 सब–स्टैंडरड घोषित नमूनें, 20 मुकदमें दायर किये गये, 15 निर्णीत कोर्ट केसों (11 दोषी, 4 बरी), न्यायालय में 384 लंबित मुकदमें और वर्ष के अंत में 32,414 (थोक व परचून) के जारी लाईसेंस, 192 संयुक्त छापे किये गये। विभाग द्वारा राज्य में 584 निर्माण ईकाईयों का निरीक्षण, कैमिस्ट शॉप के 206 लाईसैस निलम्बित कैमिस्ट शॉप के 1,210 लाईसेंसों रद्ध किये गये तथा 1,948 लाईसेंस (थोक व परचून) के जारी किये गये।

6.74 राज्य में इस अवधि के दौरान 11 एलौपैथिक औषधि निर्माण, 23 मैडीकल डिवाईस निर्माण, 13 सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण, 6 रक्त कोष निर्माण तथा 11 मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थानों के लाईसेंस स्वीकृत किये गये।

6.75 पुलिस तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई संयुक्त छापा मारी के परिणाम स्वरूप एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत पुलिस द्वारा 40 प्राथमिक सूचना रिर्पोट दर्ज की गई।

जन स्वास्थ्य

6.76 हरियाणा राज्य में 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्त्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। उसके पश्चात गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचों (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की बढ़ौतरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्तमान में राज्य में पानी की कमी वाले उन

गांवो में जहां पानी का स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम हो गया है उनमें पीने के पानी की आपूर्ति के स्तर में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

6.77 वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 2,299.32 करोड़ रूपये राज्य कैपिटल आउटले का प्रावधान है तथा 31 दिसंबर, 2022 तक 929.69 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.78 ग्रामीण पेयजल बढ़ौतरी कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में मौजूदा (वर्तमान) पेयजल सुविधाओं को 55/70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन बढ़ाने के लिए सुधार एवं सुदृढ़ करना है। गांवों में अतिरिक्त टयूबवैल लगा कर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं में बढ़ौतरी, नए नहर आधारित जल घरों का निर्माण, बुस्टिंग स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके सुधार किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिसको संशोधित करके 135 करोड़ रूपये कर दिया गया था तथा 31–03–2022 तक 130.96 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान 160 करोड़ रूपये का प्रावधान है तथा 31 दिसंबर, 2022 तक 73.36 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

6.79 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बढ़ौतरी के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य वर्ष 2000–2001 से विभिन्न परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से धनराशि प्राप्त कर रहा है। इस समय 1,274.91 करोड़ रुपये की लागत आर.आई.डी.एफ.–XXII, XXIII, XXIV, XXV,XXVI तथा XXVII के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई 41 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। नाबार्ड परियोजनाओं का विवरण **तालिका 6.4** पर दिया गया है।

तालिका– 6.4 नाबार्ड परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं0	परियोजना का नाम	आर. आई. डी. एफ.	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	31–12–2022 तक किया गया कुल खर्चे (लाख रुपये में)
1	जिला पलवल के पृथला और पलवल खण्डों के 84 गुणवत्ता प्रभावित गांवों में बढ़ोतरी जल आपूर्ति योजना।	XXII	18430.62	17,824.25
2	जिला हिसार में 6 जलघरों, नामतः खेड़ी लोचब, जालब, नारा, किन्नर, राखी खास और शाहपुर, के लिए पम्पिंग द्वारा कच्चे पानी का प्रबन्ध करना।	XXII	1026.50	846.93
3	जिला हिसार के 4 जलघरों नियाना, खरड़ अलीपुर, कुलाना तथा मयड़ के लिए पाईप लाईन द्वारा कच्चे पानी का प्रबन्ध करना।	XXII	699.88	628.07
4	जिला मेवात के 80 गांवों फिरोजपुर झिरका व नगीना बलॉक में यमुना फल्ड प्लेन मे गांव अटबा में रैनीवैल लगाकर जल आपुर्ति।	XXIII	21090.00	21,050.59
5	जिला महेन्द्रगढ के 25 गांवो मे जल आपूर्ति में बढ़ौतरी (ब्लाक सतनाली)।	XXIII	12443.00	9,211.43
6	जिला रेवाडी के 14 गांवो व 1 ढाणी, के लिए गांव खलेटा में नहर आधारित जलघर बनाकर जल आपूर्ति करना।	XXIII	4439.00	3,924.68
7	जिला महेन्द्रगढ मे तहसील अटेली मण्डी के 61 गांवों के लिए, गांव भालकी में नहर आधारित जलघर बनाकर पानी की बढोतरी करना ।	XXIV	11470.00	7,055.71
8	जिला रेवाडी के 25 गांवों व 3 ढाणियों के लिए गांव रधुनाथपुरा समूह में नहर आधारित जलघर प्रदान करना।	XXIV	6602.60	5,548.25
9	जिला रेवाडी के 23 गांवों व 4 ढाणियों के लिए गांव सांपली व कसौला में नहर आधारित जलघर प्रदान करना।	XXIV	5612.40,	4,620.81
10	नारनौल तहसील जिला महेन्द्रगढ़ के 122 गांवों के लिए नहर आधारित पेयजल योजना में बढ़ोतरी की जल वितरण योजना।	XXV	9494.25	5,492.95

क्रम सं0	परियोजना का नाम	आर. आई. डी. एफ.	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	31–12–2022 तक किया गया कुल खर्चे (लाख रुपये में)
11	गांव सिरसाली में 12 गांवों के समूह के लिए नहर आधारित जल घर बनाकर जल वितरण योजना प्रदान करना।	XXV	3622.75	3,233.15
12	तहसील एवम् जिला हिसार में चौधरीवाली माईनर की आर0 डी0–20,000 से 7 जल घरों के लिए कच्चा जल प्रदान करना।	XXV	2554.15	2,355.30
13	गांव महरा में 6 गांवों के समूह नहर आधारित जल घर बनाकर जल वितरण योजना प्रदान करना।	XXV	1772.35	1,358.98
14	सौन्दहद: जिला पलवल व तहसील होडल के गांव सौन्दहद में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ोतरी।	XXVI	1336.70	864.61
15	सौन्दहदः जिला पलवल के गांव सौन्दहद में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने बारे।	XXVI	1276.95	656.65
16	डिगोटः जिला पलवल के गांव डिगोट में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने बारे।	XXVI	1118.72	1,005.56
17	बापोली :जिला पानीपत के गांव बापोली में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना।	XXVI	1099.30	484.67
18	औरंगाबाद: जिला पलवल के गांव औरंगाबाद में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने बारे।	XXVI	1074.45	923.57
19	भीदूकीः जिला पलवल के गांव भीदूकी में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने बारे।	XXVI	1072.05	624.29
20	चुलकाना :जिला पानीपत के गांव चुलकाना में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना।	XXVI	979,35	379.87
21	खाम्बीः जिला पलवल के गांव खाम्बी में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने बारे।	XXVI	960.90	404.56
22	राणा माजराः जिला पानीपत के गांव राणा माजरा में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना।	XXVI	687.25	261.17
23	डिगोटः जिला पलवल व तहसील होडल के गांव डिगोट में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ोतरी।	XXVI	623.35	406.92
24	भीदूकीः जिला पलवल व तहसील होडल के गांव भीदूकी में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ौतरी।	XXVI	577.90	307.70
25	औरंगाबाद: जिला पलवल व तहसील होडल के गांव औरंगाबाद में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ोतरी।	XXVI	477.05	260.40
26	चुलकाना: जिला पानीपत में चुलकाना गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVI	391.25	257.87
27	बापौली: जिला पानीपत में बापौली गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVI	389.60	191.32
28	खाम्बीः जिला पलवल व तहसील होडल के गांव खाम्बी में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ोतरी।	XXVI	324.25	241.92
29	राणा माजरा: जिला पानीपत में राणा माजरा गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVI	271.80	229.67
30	बरवाः गांव भरवा में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना। (जिला करनाल)	XXVII	2725.80	0.00
31	मडलोढाः गांव मडलोढा में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना। (जिला करनाल)	XXVII	2044.55	7.78
32	भैंसवाल कलाः गांव भैंसवाल कला में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना।	XXVII	1579.40	348.49
33	बरवा: भरवा गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना। (जिला करनाल)	XXVII	1522.45	0.00
34	निंदाना: निंदाना गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVII	1279.05	295.38
35	निंदानाः गांव निंदाना में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना।	XXVII	1216.2	0.00
36	खानपुर कला: खानपुर कला गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी	XXVII	1087.85	296.71

क्रम सं0	परियोजना का नाम	आर. आई. डी. एफ.	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	31–12–2022 तक किया गया कुल खर्चे (लाख रुपये में)
	योजना।			
37	खानपुर कलांः खानपुर कलां गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVII	1077.60	9.57
38	मडलोढाः मडलोढा गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना। (जिला करनाल)	XXVII	985.65	68.26
39	बरसतः गांव बरसत में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना। (जिला करनाल)	XXVII	925.85	225.60
40	भैंसवाल कलांः भैंसवाल मिठन और बावला गांव के लिए भैंसवाल कलां जलघर की पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVII	798.20	99.00
41	बरसतः बरसत गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना। (जिला करनाल)	XXVII	330ण्15	40.46
	कुल योग		**1,27,491.12**	**92,043.10**

स्त्रोत : जन स्वास्थय विभाग, हरियाणा।

तालिका– 6.5 नाबार्ड के अन्तर्गत आर.आई.डी.एफ. द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनायें

क्र सं	विवरण	कुल लागत	नाबार्ड शेयरः (रूपये करोड़ में)
1	नूहं (मेवात) जिले के 52 गांवों और 5 ढाणियों को पानी की आपूर्ति में सुधार	228.45	100.79
2	3 नंबर पेयजल योजनाओं, मुसैदपुर, बिरहेरा, मेहचाना गुरूग्राम के लिए कच्चे पानी की व्यवस्था प्रदान करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	61.56	27.80
	कुल योग	290.01	128.59

स्त्रोत : जन स्वास्थय विभाग, हरियाणा।

6.80 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित वर्ष 2021–22 के दौरान 345 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिस को संशोधित कर के 140 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2022 तक 146.96 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित वर्ष 2022–23 के दौरान 250 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिस पर 31–12–2022 तक 86.39 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.81 स्पेशल कंपोनेंट सब प्लान के अन्तर्गत जिन गांवों/बस्तियों में ज्यादातर जनसंख्या अनुसूचित जाति के घरों की है, उन में अतिरिक्त नलकूप लगा कर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं की बढ़ोतरी एवम् नए नहर आधारित जलघर बना कर, बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण कर के, मौजुदा वितरण प्रणाली को मजबूत बना कर, पेयजल सुविधाएं प्रदान/अपग्रेड की जाती हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान के अर्न्तगत बनाई गई संरचनाओं (ढांचो) के विकास के लिए 17.25 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिस को संशोधित कर के 3 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2022 तक 0.95 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे स्पैशल कम्पोनैन्ट प्लान के अन्तर्गत बनाई गई सरंचनाओं (ढांचों) के विकास के लिए 7.50 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिस पर 31–12–2022 तक 0.32 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.82 विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा 10,000 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में मल निकासी (सीवरेज) प्रणाली प्रदान करने के लिए महाग्राम योजना के नाम से एक योजना प्रारम्भ की गई है। गांवों में सीवरेज

प्रणाली को प्रदान करने तथा इसे सफलता पूर्वक चलाने के लिए, पीने के पानी के स्तर को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन +15 प्रतिशत गैर हिसाब का प्रवाह (यू. ए. एफ) तक बढ़ाना अति अनिवार्य है। योजना की विशालता और भारी संसाधनों के निवेश को देखते हुए इस योजना को 3 चरणों मे लागू किया गया है। राज्य में लगभग 200 गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है। इनमें से 132 गांवों को महाग्राम योजना के अन्तर्गत सीवरेज सुविधा प्रदान करने के लिए चुना गया है, जिन्हें आसानी से क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों में विभाजित किया गया है। कार्यों/अनुमोदनों की प्रगति के अनुसार चरणों में संशोधन किया गया है। चरण–1 में 38 गांवों का चयन किया गया है, चरण–2 के तहत 45 गांवों का चयन किया गया है। इसके अलावा, चरण–3 के तहत 49 गांवों का चयन किया गया है और 31–12–2027 तक इसे कवर करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, चरण–2 और चरण–3 के अन्तर्गत 46 गांवों में कार्य संभव नहीं है/गांव शहरी क्षेत्र में सम्मलित हो गए हैं। 132 गांवों में से 36 गांवों में महाग्राम योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है तथा सोतई, नाहरपुर व क्योड़क गांव में महाग्राम योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। महाग्राम योजना के अर्न्तगत वित्त वर्ष 2021–22 में मल निकासी सुविधांए प्रदान करने के लिए 12 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध थी जो कि संशोधित कर के 44 करोड़ रूपये कर दी गई थी तथा पेयजल योजनाओं के नवीनीकरण के लिए 45 करोड़ रूपये का प्रावधान था जो कि संशोधित करके 32 करोड़ रूपये कर दिया गया था उपरोक्त 76 करोड़ रूपये की आवंटित राशि में से 31–12–2022 तक 68.25 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे।

6.83 इस योजना के अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 2022–23 के दौरान मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान है तथा पेयजल योजनाओं के नवीनीकरण के लिए 25 करोड रूपये का प्रावधान है। उपरोक्त 75 करोड़ रूपये आवंटित राशि में से 31.02 करोड़ रूपये 31–12–2022 तक खर्च किए जा चुके हैं।

जल जीवन मिशन

6.84 भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन प्रारम्भ किया गया है। हरियाणा राज्य ने इस बड़े कार्य को एक चुनौती की तरह से स्वीकार किया एवं एक विस्तृत नीति और अथक निगरानी की सहायता द्वारा 06–04–2022 तक सभी 30.41 लाख घरों में जल कनैक्शन देने में सफल रहा। वर्ष 2021–22 के दौरान जल जीवन मिशन (कवरेज एवं संबंधित गतिविधियां) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के हिस्से सहित 232 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिसको संशोधित करके 924 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2022 तक 881.14 करोड़ रूपये खर्च किये गये। वर्ष 2022–23 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 915 करोड़ रूपये (राज्य के हिस्से सहित) का प्रावधान था जिस पर 31–12–2022 तक 558.01 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

पेयजल आपूर्ति एवम् मल निकासी सेवाएं

6.85 कुल 92 शहरों में से 85 शहरों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति एवम् मल निकासी सेवाओं का रखरखाव किया जा रहा है। सभी 85 शहरों में पाईपों द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान चुने हुए शहरों तथा शहरों की अनुमोदित हुई कालोनियों में जल वितरण तथा बढ़ोतरी के कार्यों को करने के लिए 150.36 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जिसको संशोधित करके 133.30 करोड़ रूप्ये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2022 तक 128.11 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान इस कार्य{म के अन्तर्गत 128.82 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिस पर 31–12–2022 तक 50.34 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.86 जहां तक मल निकासी योजनाओं का सम्बन्ध है राज्य में मल निकासी की सुविधाएं 85 शहरों के मुख्य भागों में प्रदान की जा चुकी है जबकि 7 शहरों में मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य प्रगति पर हैं तथा हाल ही में अधिसूचित हुए एक शहर को कुण्डली में कार्य आरम्भ किया जाना है। चालू वितीय वर्ष 2022—23 के दौरान, चयनित शहरों के छूटे हुऐ क्षेत्रों में सीवरेज सुविधाओं तथा अनुसूचित जाति कॉलोनियों में यह सुविधा प्रदान करने के लिए 185 करोड़ रूपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है और इसके परिव्यय के खिलाफ 31—12—2022 तक 99.27 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.87 राष्ट्रीय राजधानी पर जनसंख्या भार को कम करने की दृष्टि से, उपनगरों में जल आपूर्ति और सीवरेज पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करने और सेवाओं को लगभग राष्ट्रीय राजधानी में उपलब्ध सेवाओं के बराबर लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों का पलायन रोका जा सके। 2005 के बाद से सैटेलाइट कस्बों में जलापूर्ति और सीवरेज का एक विशाल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है।

6.88 राज्य के 9 शहरों नामतः गनौर, खरखोदा, झज्जर, होडल, कलानौर, साम्पला, सोहना, बेरी तथा समालखा के लिए 72.11 करोड़ रूपये की लागत को 9 परियोजनाएं सीवरेज प्रणाली में सुधार के लिए 14—11—2017 स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2021—22 के दौरान 15 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिस को संशोधित कर के 6 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31—03—2022 तक 4.02 करोड़ रूपये खर्च किए गये। चालू वित्त वर्ष 2022—23 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा 15 करोड़ रूपये मजूंर किए गए है तथा इस पर 31 दिसंबर, 2022 तक 2.05 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

उद्देश्य

6.89 इसका उद्देश्य आसपास के शहरों में लगभग समान सेवाएं प्रदान करना और दिल्ली की राजधानी की ओर पलायन करने के लिए जनसंख्या की बढ़ती प्रवृति को रोकना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड के द्वारा 75:25 के पैटर्न का पालन करते हुए योजनाओं को वितपोषित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड से 75 प्रतिशत ऋण के साथ 25 प्रतिशत राज्य का हिस्सा होता हैं।

6.90 मानसून के दौरान विभिन्न शहरों मे कई स्थान प्राकृतिक ढलान के कारण बाढ़ के लिए अति संवेदनशील हैं। प्रभावित इलाकों में बाढ़ की रोकथाम के लिए बरसाती पानी की निकासी के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचों के निर्माण की आवश्यकता होती है। वर्ष 2021—22 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिसको संशोधित करके 35 करोड़ कर दिया गया था जिस पर 31—03—2022 तक 29.56 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2022—23 के दौरान जो कार्य प्रगति पर हैं उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए 40 करोड़ रूपये की धनराशि आबंटित की गई है जिस पर 31 दिसंबर, 2022 तक 22.27 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की गई है।

6.91 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा ने घग्घर और यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के लिए मल उपचार संयंत्र सहित हरियाणा राज्य में 120 (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) मल उपचार संयंत्र का निर्माण किया है। संयंत्रों के प्रदर्शन में मौजूदा कमियों की पहचान की गई है और विभाग द्वारा नए स्वीकृत कॉलोनियों में सीवर बिछाने के अलावा नए मल उपचार संयंत्र के निर्माण को पूरा करने और मौजूदा मल उपचार संयंत्र के उन्नयन को 31—12—2025 तक पूरा करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है।

उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग

6.92 हरियाणा राज्य ने तेजी से घटते जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, पानी की प्रत्येक बूंद के संरक्षण/बचतके लिए पुनः उपयोग के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर (उपचारित अपशिष्ट जल) नीति को अधिसूचित किया है। यह परिकल्पित किया गया है कि उपचारित अपशिष्ट जल की एक–एक बूंद का उपयोग ऊष्मीय संयंत्रों, उद्योगों, निर्माण, बागवानी और सिंचाई उददेश्य आदि में विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल सैल भी उक्त नीति और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति के लिए विभिन्न हितधारकों के स्तर पर परियोजनाओं की परिकल्पना की जा रही है। नीति निम्नलिखित उददेश्यों को संशोधित करती हैः–

- पॉलिसी के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक नगर पालिका द्वारा कम से कम 25 प्रतिशत उपचारित आपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना।
- 2025 तक उपचारित अपशिष्ट जल के 50 प्रतिशत का पुनः उपयोग करना।
- 2030 तक 80 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना।

6.93 हरियाणा राज्य के 92 शहरों में 1,985 मिलियन लीटर प्रति दिन की क्षमता वाले 170 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/कॉमन एफलूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वर्तमान समय में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट/कॉमन एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स से 1,346 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल के प्रवाह को उत्पन्न किया जा रहा है।

6.94 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने पहले चरण में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए 339.50 एम.एल.डी. की क्षमता वाले 27 मल उपचार संयंत्र को कवर करते हुए 500 करोड़ रूपये की परियोजनाएं तैयार की हैं। लाडवा में 7.00 एम.एल.डी. पेहवा में 8.00 एम. एल.डी. तथा शाहबाद में 11.50 एम.एल.डी. क्षमता के तीन मल उपचार संयंत्र के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पहले से ही सिंचाई/कृषि उददेश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है।

6.95 वर्ष 2021–22 के दौरान जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का कैपीटल आऊटले 1,393.51 करोड़ रूपये था जिस को संशाधित कर के 1,696.96 करोड़ रूपये कर दिया गया था। रवैन्यू आऊटले 2,052.34 करोड़ रूपये था जिस को संशोधित कर के 2,246.14 करोड़ रूपये कर दिया गया था। वर्ष 2022–23 के दौरान जन स्वास्थ्य विभाग का कैपीटल आऊटले 2,299.32 करोड़ रूपये है तथा रवैन्यू आऊटले 2,428.06 करोड़ रूपये है।

महिला एवं बाल विकास

6.96 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। विभाग का मुख्य उद्देश्य/लक्ष्य, नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, बच्चों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सीखने की क्षमता बढ़ाना, पोषण, संस्थानिक समर्थन इत्यादि को बढ़ावा देना है। विभाग का बजट वर्ष 2014–15 में 1,113.49 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 2,079.55 करोड़ रूपये हो गया है। इस वित्त वर्ष में जनवरी, 2023 तक 1152.59 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

6.97 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी जिसका उद्धेश्य पक्षपाति लिंग जांच को रोकना, लडकियों व बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा,

शिक्षा तथा सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा राज्य के 12 जिलों को चुना गया जिनका शिशु लिंग अनुपात असंतुलित था। इसके पष्चात वर्ष 2016 में यह कार्यक्रम शेष 8 जिलों में तथा मार्च, 2018 में मेवात जिले में अग्रेषित किया गया। राज्य सरकार ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के सभी समुदायों, सामाजिक संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों को एक सांझा मंच पर लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। हरियाणा में शिशु लिंग अनुपात दर जो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 830 था, 31 दिसम्बर, 2022 में बढ़कर 917 तक पहुँचाई गई।

प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना

6.98 भारत सरकार द्वारा दिनांक 01–01–2017 से इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदल कर प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में चलाई जा रही है। यह योजना गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और पोषण में सुधार लाने में मदद करेगी ताकि कुपोषण के प्रभाव को कम किया जा सके, जैसे कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और अन्य संबंधित समस्याएं। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5,000 रूपये की राषि तीन किष्तों में दी जाती है। वर्ष 2022–23 में अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक 1,20,673 लाभपात्रों पर 59.87 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है।

वन स्टॉप केन्द्र सखी

6.99 हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देष्य से वन स्टॉप केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य में महिलाओं के लिये वन स्टॉप केन्द्र ''सखी'' की स्थापना प्रथम चरण में जिला करनाल, फरीदाबाद, गुरूग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी एवं नारनौल में की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 में शेष जिलों में 15 वन स्टॉप केन्द्र चलाए गए। इस योजना के तहत राज्य में वर्ष 2022–23 के दौरान अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल 5,795 केसों का निपटान किया गया।

आपकी बेटी–हमारी बेटी

6.100 वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी–हमारी बेटी योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये तथा सभी वर्ग के परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये की राषि दी जाती है। यह राषि बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लगभग 1 लाख रूपये उसके उपयोग के लिए दी जायेगी। हरियाणा सरकार द्वारा तीसरी बेटी के जन्म पर भी यह लाभ देने का प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत मास 31 दिसम्बर, 2022 तक 48,595 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा चुका है।

हरियाणा कन्या कोष

6.101 हरियाणा कन्या कोष राज्य में मार्च, 2015 को बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोष के तहत प्राप्त राषि की देखरेख की जायेगी। इस कोष के बैंक खाते में अब तक 69.88 लाख रूपये की राषि जमा की गई है। आयकर विभाग द्वारा इसमें आयकर एक्ट की धारा 12 एए के अन्तर्गत चैरिटेबल सोसाईटी का पंजीकरण तथा धारा 80जी के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में हरियाणा कोष के खाते में 10.05 लाख रूपये की राषि है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना

6.102 यह योजना दिनांक 22–01–2015 को चलाई गई थी जिसका उद्देश्य असंतुलित

लिगांनुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है। योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है। राज्य में 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल 6,82,354 खाते डाकखाने में खुलवाये जा चुके हैं।

पोषण अभियान

6.103 पोषण अभियान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझनु जिले में शुरू किया गया। पोषण अभियान का लक्ष्य 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करने से है। पोषण अभियान राज्य के सभी जिलों में लागू हैं। पोषण अभियान के पहले चरण में 2 जिलें नूंह व पानीपत को शामिल किया गया तथा दूसरे चरण में 10 जिलों नामतः कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर, गुरूग्राम, पलवल, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत को चयनित किया गया बाकी जिलों को तीसरे चरण के तहत कवर किया गया। सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों को प्रत्येक महीने के 8वें और 22वें दिन प्रत्येक आंगनवाड़ी में आयोजित करवाये गये। 31 दिसम्बर, 2022 तक के दौरान 4,57,377 सामुदायिक आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस महीने के 15 वें दिन स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत के अभिसरण में नियमित तौर पर आयोजित किए गए। 31 दिसम्बर 2022 तक के दौरान 2,26,569 ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस आयोजित किए गए। विभिन्न स्तर पर अभिसरण कार्य योजना बनाने के लिए राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समन्वय कमेटियों का गठन किया गया।

समेकित बाल संरक्षण योजना

6.104 समेकित बाल संरक्षण योजना एक एम्ब्रैला योजना है जिसके तहत जरुरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किषोरों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्षन सोसायटी के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख, सुरक्षा, विकास तथा पुर्नवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिये राज्य में 75 बाल देखरेख संस्थायें सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। ये संस्थाएं राज्य में सभी जिलों में फैली हुई है तथा 47 खण्डों में लगभग 1,900 बच्चों को कवर कर रही है। हरियाणा में सभी जिलों में किशोर न्याय समिति और बाल कल्याण समिति कार्य कर रही है।

समेकित बाल विकास सेवा

6.105 समेकित बाल विकास सेवा योजना सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 0–6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनौवैज्ञानिक व सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्युदर, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। यह योजना 21 शहरी परियोजना सहित 148 खण्डों (127 ग्रामीण + 21 शहरी) खण्डों में 25,962 आंगनवाड़ी केन्द्रों, जिनमें 512 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं, के माध्यम से चलाई जा रही हैं। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को 600 कैलोरी व 18–20 ग्राम प्रोटीन, बच्चो को 500 कैलोरी व 12–15 ग्राम प्रोटीन तथा कुपोषित बच्चो को 800 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन निर्धारित माप दण्डों के अनुसार पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। पूरक पोषाहार की दरों को 7 रूपये से 9.50 रूपये प्रति माता, 6 रूपये से 8 रूपये प्रति बच्चा व 9 रूपये से 12 रूपये प्रति कुपोषित बालक प्रति दिन कर दिया गया है। 9.23 लाख बच्चों व 2.88 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार कार्यक्रम के

तहत कवर किया गया है। बच्चों और महिलाओं को प्रदान किये जा रहे पूरक पोषण के मूल्य को बढ़ाने के लिए निम्न पहल की गई है।

- आंगनवाड़ी केन्द्रों में राशन बनाने के लिए डबल फोर्टीफाईड नमक का प्रयोग किया जा रहा है।
- राज्य की षहरी परियोजनाओं में आपूर्ति के लिए पंजीरी प्लांट के दोनों संयत्रों गुरूग्राम व घरौण्डा द्वारा फोर्टीफाईड पंजीरी तैयार की जा रही है।
- फोर्टीफाईड गेंहू का आटा सभी जिलों में हैफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- फोर्टीफाईड तेल सभी जिलों में व दोनों पंजीरी प्लांट में हैफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

आँगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण

6.106 वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 5,605 लाख रूपये का प्रावधान है। जिसमें से पूर्व वर्षो में स्वीकृत किये गये आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को पूरा करने तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की मरमम्त के लिए राशि जारी की जानी है।

***